

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0289 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 12/12/2024 18:14 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|-----------------|--|-------------------|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 13(1)(b) |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 13(2) |
| 3 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 13(1)(e) |
| 4 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 13(2) |
| 5 | भा द सं 1860 | 120-B |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 28/06/1997 Date To (दिनांक तक): 19/10/2023
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:01 बजे Time To (समय तक): 16:50 बजे

- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/12/2024 Time (समय): 16:00 बजे

- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय): 12/12/2024 18:14:54 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 250 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): KOTA

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJEEV JOSHI

(b) Father's Name (पिता का नाम): T.K JOSHI

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 30/11/1967

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|-------|---------|-----------|
|-------|---------|-----------|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|------------------|------------------------------|---|
| 1 | वर्तमान पता | 1-49, RHB COLONY, GOVERDHAN VILLAS, GIRWA, GORDHAN VILAS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | 1-49, RHB COLONY, GOVERDHAN VILLAS, GIRWA, GORDHAN VILAS, UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):



7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|-----------------|---------------|---------------|------------------------------------|--|
| 1 | AJAY BHARGAV | | पिता: BASANT KUMAR BHARGAV | 1. 01 K58, MAHAVEER VISTAR YOJANA, MAHAVEER NAGAR, KOTA |
| 2 | DEEPI BHARGAV | | पत्नी: AJAY BHARGAV | 1. 01 K58, MAHAVEER VISTAR YOJANA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|--------------------|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 6,40,96,167.00 |

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

6,40,96,167.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|--------------------|--------------------------------------|
| | |

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 06.10.2023 को परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा, निवासी देवकी पंचायत समिति दोवडा, जिला डूंगरपुर द्वारा एक लिखित शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर पर प्रस्तुत की कि "मेरी माताजी श्रीमती काली देवी कटारा ग्राम पंचायत सतु की सरपंच है। उनका स्वास्थ्य खराब रहने से मैं उनके सरपंच पद के कार्यों को करने में उनकी सहायता करता हूँ। मेरी माताजी के कहने पर मैं ग्राम पंचायत सतु में मनरेगा कार्य की आवेदन फाईल तैयार कर स्वीकृत करवाने के लिये कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर के अधिशाषी अभियंता श्री अजय भार्गव से मिला तो उन्होंने मुझसे फाईल के आवेदन करने पर पांच हजार रूपये मांग कर ले लिये तथा मनरेगा कार्यों की स्वीकृति के लिये आवेदन की गयी फाईलों में मनरेगा कार्य की सामग्री की अनुमानित राशि 94,00,000/- रूपये का 02 प्रतिशत लगभग 1,80,000/- रूपये रिश्चत राशि की मांग की गई। जिस पर श्री रतनसिंह राजपुरोहित तत्कालीन पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, उदयपुर द्वारा प्रक्रियानुसार दिनांक 07.10.2023 एवं दिनांक 10.10.2023 को रिश्चत राशि मांग सत्यापन की अग्रिम कार्यवाही की गई, रिश्चत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियन्ता, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर द्वारा परिवादी से 80,000/- रूपये रिश्चत राशि की मांग कर पूर्व में अलग-अलग लिये गये कुल 20,000/- रूपयों को ग्रहण करने की सहमति देते हुए 45,000/- रूपये रिश्चत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर दिनांक 11.10.2023 को दौरान ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री अजय भार्गव अधिशाषी अभियंता, जिला परिषद, डूंगरपुर को परिवादी श्री शान्तिलाल कटारा से अपनी मांग अनुसार 45,000/- रूपये रिश्चत राशि ग्रहण करते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा स्वयं के ठहरने के लिये उपयोग में लिये जाने वाले डाक बंगला, जिला डूंगरपुर के कमरा नम्बर 02 की तलाशी में 21,605/- रूपये मिले। दौरान कार्यवाही श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात द्वारा आरोपी श्री अजय भार्गव के रिहायशी आवास मकान नम्बर 01, के-58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा की दिनांक 11.10.2023 व 12.10.2023 एवं पंजाब नेशनल बैंक, शाखा दादाबाडी, कोटा के लॉकर संख्या BB00041 संयुक्त खाता धारक आरोपी श्री अजय भार्गव व अन्य की दिनांक 19.10.2023 को नियमानुसार तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की गई। दौरान खाना तलाशी आरोपी एवं उसके परिवारजन के नाम से जारी बैंक खातों के विवरण, नगद राशि, एफडीआर, भूमि/प्लॉट के दस्तावेज, सोने-चांदी के सिक्के, सिंल्लियां, जैवरात, आदि मिले। आरोपी के रिहायशी मकान नम्बर 01, के-58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा की खाना तलाशी के दौरान घर के अन्दर प्रथम तल पर रखे फ्रीज की तलाशी के दौरान फ्रीजर में 500-500 रूपये के नोटों की 07 गड्डीयां कुल 3,34,000/- रूपये मिले, इसी प्रकार उक्त फ्रीज में सोन-चांदी के आभूषणों के खरीद बिल एक प्लास्टिक की थैली में मिले। चांदी के सिक्के और दो जोड़ी चांदी के पायल मिले, इसी फ्रीज की तलाशी के दौरान सब्जी की ड्राअर में कपडे के केरीबैग में 500-500 रूपये की 19 गड्डीयां, 200-200 रूपये की 01 गड्डी व 100-100 रूपये की 03 गड्डीयां कुल 10,00,000/- रूपये (दस लाख रूपये) मिले। इसी प्रकार खाना तलाशी के दौरान मकान में बने पुजा घर के उपर रखे केसरिया रंग के प्लास्टिक के मटके में अलग-अलग नोटों की गड्डीयां मिली जिसमें कुल 12,60,215/- रूपये (बारह लाख साठ हजार दो सो पन्द्राह रूपये) बरामद हुए, मकान में ही कागज के कार्टन में से 500, 200, 100 रूपये के नोटों के कुल 2,30,100/- रूपये (दो लाख तीस हजार सो रूपये) बरामद हुए, इसी प्रकार आरोपी के मकान की खाना तलाशी के दौरान अलग-अलग स्थानों, अलमारियों में से अवैध राशि कुल 47,22,550/- रूपये (सेतालिस लाख बाईस हजार पांच सो पचास रूपये) आरोपी के रिहायशी उक्त मकान से बरामद हुए जिसे कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री अजय भार्गव के मकान की खाना तलाशी के दौरान अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड की व देशी हथकडी शराब की

40 से अधिक बोटलें मिली जिस पर पृथक से पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा पर प्रकरण संख्या 522/2023 दिनांक 12.10.2023 धारा 16/54, 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा अवैध राशि के साथ-साथ अवैध शराब भी रखी, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी की अवैध कार्यों में संलिप्तता रही है। आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा वर्ष 2019 में अपने नाम अलग-अलग प्लोटों पर दिनांक 29.03.2019 को ही आईसीआईसीआई बैंक शाखा दादाबाडी, कोटा से कुल 4,47,00,000/- रुपये (चार करोड़ सेतालिस लाख रुपये) के 03 लोन लिये गये। इसी प्रकार दिनांक 24.08.2020 को 85,45,000/- रुपये, दिनांक 13.01.2022 को 41,13,200/- रुपये का उपरोक्त लोन पर टोपअप लोन लिया गया एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा अपने स्वयं के नाम के प्लॉट नम्बर 517, आरके पुरम, बी आवासीय योजन लाडपुर, कोटा पर आईसीआईसीआई बैंक शाखा दादाबाडी, कोटा से दिनांक 30.01.2023 को 82,00,000/- रुपये का लोन लिया गया। आरोपी एवं उसकी पत्नी द्वारा उक्तानुसार वर्ष 2019 से 2023 तक 05 वर्षों की अवधि में कुल 6,55,58,200/- रुपये का लोन लिया और वर्ष 2019 से ट्रेप दिनांक तक 05 वर्षों में ही कुल 6,56,81,719/- रुपये लोन खाते में जमा करवये गये है। आरोपी श्री अजय भार्गव को अपने सेवाकाल के दौरान शुद्ध वेतन के रूप में 1,14,68,400/- रुपये प्राप्त हुए व श्रीमती दीप्ती भार्गव को अपने सेवाकाल के दौरान शुद्ध वेतन के रूप में 1,05,91,379/- रुपये प्राप्त हुए। परन्तु उक्त दोनों द्वारा 05 वर्ष की अवधि में 6,55,58,200/- रुपये का लोन लेकर 6,56,81,719/- रुपये लोन खाते में जमा करवये गये हैं, उक्त दोनों द्वारा वेतन से अधिक का लोन लेकर 05 वर्षों में ही लोन राशि जमा करवाना और चल-अचल सम्पत्ति अर्जित करना इनके द्वारा अवैध तरीकों से आय प्राप्त की गई है। लोन खातों में पेमेन्ट मोड आरोपी श्री अजय भार्गव के वेतन खाता संख्या 687901115391 से ऑटो डेबिट होकर प्रति माह किश्त जमा होती है। भू-खण्ड संख्या 194, राजीव गांधी नगर, कोटा एवं भू-खण्ड संख्या 161, राजीव गांधी नगर, कोटा के नगर विकास न्यास कोटा से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त दोनों प्लोट आरोपी एवं उसकी पत्नी श्रीमती दीप्ती भार्गव के नाम पर नहीं होकर उक्त दोनों प्लोट आरोपी के भाई श्री संजय भार्गव व बहन सुश्री आरती भार्गव व श्रीमती सीमा भार्गव (पत्नी संजय भार्गव) के नाम पर है, परन्तु उक्त दोनों प्लोट पर आईसीआईसीआई बैंक से लिये गये लोन में पेमेन्ट मोड आरोपी श्री अजय भार्गव के वेतन खाता संख्या 687901115391 से ऑटो डेबिट होकर प्रति माह किश्त जमा होती है। आरोपी अजय भार्गव द्वारा अवैध तरीकों से परिश्रमपतियां अर्जित की गई है। आरोपी श्री अजय भार्गव का दिनांक 27.08.2018 से दिनांक 17.02.2021 तक एवं पुनः दिनांक 09.02.2022 से ट्रेप दिनांक 11.10.2023 तक कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर में अधिशाषी अभियंता के पद पर पदस्थापन रहा और आरोपी द्वारा इसी समयावधि में उपरोक्त लोन लिये गये और अपनी आय से अधिक की सम्पत्ति अर्जित की गई। आरोपी श्री अजय भार्गव को जिला परिषद, डूंगरपुर में अधिशाषी अभियंता के पद पर रहते हुए ही परिवारी से अपनी मांग अनुसार रिश्तत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी को प्रतिमाह 82,706/- रुपये वेतन प्राप्त होता है जो आईसीआईसीआई बैंक खाते में उसके खाता संख्या 687901115391 में जमा होता है। आरोपी द्वारा प्रति माह लोन खाता संख्या क्रमशः LBKOT00004948640 में 50,804/-, LBKOT00005920911 में 31,706/-, LBKOT00004948641 में 1,02,820/- एवं श्रीमती दीप्ती भार्गव के लोन खाता संख्या TBKOT00006493566 में 92,835/- रुपये की मासिक किश्त कुल 2,78,165/- रुपये अपने उक्त आईसीआईसीआई बैंक के वेतन खाता संख्या 687901115391 से जमा होती थी। आरोपी श्री अजय भार्गव एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा आईसीआईसीआई बैंक से ऋण खाता संख्या LBKOT00004948681 से 1,59,00000.00/- रुपये, LBKOT00005920911 से 41,13,200.00/- रुपये, LBKOT00004948639 से 9700000.00/- रुपये, LBKOT00004948640 से 9400000.00/- रुपये, LBKOT00005337439 से 85,45000.00/- रुपये, LBKOT00004948641 से 97,00,000.00/- रुपये, TBKOT00006493566 से 82,00,000.00/- रुपये इस प्रकार कुल 6,55,58,200/- रुपये का आरोपीगण अजय भार्गव एवं श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा अचल सम्पत्ति पर ऋण प्राप्त किया गया तथा आरोपी द्वारा उक्त ऋण खाते में मूल धन व ब्याज सहित कार्यवाही दिनांक तक 6,53,37,145/- रुपये जमा करवाये गये तत्पश्चात 1,90,07,582/- रुपये ऋण राशि ब्याज सहित शेष है। ऋण से सम्बन्धित दस्तावेजात प्राप्त किये गये। आरोपी श्री अजय भार्गव की आयकर विवरणिया वर्ष 2008-2009 से 2023-2024 तक प्राप्त की गई जिसके अवलोकन से आरोपी श्री अजय भार्गव व उसकी पत्नी आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव की राजकीय सेवा से प्राप्त आय के अलावा अन्य आय के स्रोत में आवासीय सम्पत्तियों से आय होना ज्ञात होता है, जो अनुसंधान से स्पष्ट होगा। वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 01.04.2022 से 31.03.2023 में कुल आय से उधार ली गई राशि पर चुकाये गये ऋण को इनकम से घटया गया है। आरोपी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी के दौरान खसरा नम्बर 1560/1 ग्राम मण्डाना, तहसील लाडपुरा, कोटा राजस्थान पर संचालित एसआर पेट्रोल पम्प, पुश्तेनी मकान, कोटा में संचालन सभी होस्टल एवं आरोपी श्री अजय भार्गव के वार्षिक सम्पत्ति विवरण (एपीए प्रपत्र) में अंकित क्रय किये गये भू-खण्ड 1/59 एचआईजी, भीवाडी, अलवर राजस्थान के सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट होगी। आरोपी श्री अजय भार्गव के आयकर पेन नम्बर ADTPB3905H है तथा आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव के पेन नम्बर ADIPB9426C है। आरोपी श्री अजय भार्गव व आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव एवं उसके पुत्रों के विभिन्न बैंक खातों के सम्बंध में सूचना प्राप्त की गई,

सम्बंधित बैंक खाते ट्रेप दिनांक को अंतिम जमा शेष राशि को आरोपीगण की सम्पत्ति पक्ष में सम्मिलित की गई है। इसी प्रकार जांच के दौरान मिली चल/अचल सम्पत्तियों के दस्तावेजों के अनुसार उनकी कीमत आरोपीगण की सम्पत्ति पक्ष में सम्मिलित की गई है। आरोपीगण के वेतन भुगतान से सम्बंधित वेतन स्टेटमेंट प्राप्त किये गये जिसके अनुसार आरोपी श्री अजय भार्गव को अपने सेवाकाल के दौरान आलौच्य अवधि दिनांक 28.06.1997 से 19.10.2023 तक मिला कुल सकल वेतन 1,50,45,771/- रुपये में से आयकर कटौती राशि 9,60,732/- रुपये की कटौती करने के पश्चात् शुद्ध वेतन के रूप में प्राप्त राशि 1,40,85,039/- रुपये को आय पक्ष में सम्मिलित की गई है। आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव पत्नी श्री अजय भार्गव को अपने सेवाकाल के दौरान आलौच्य अवधि दिनांक 01.07.1997 से 19.10.2023 तक मिला कुल सकल वेतन 1,33,23,489/- रुपये प्राप्त हुये जिनमें से आयकर कटौतिया राशि 8,30,734/- रुपये की कटौती करने के पश्चात् शुद्ध वेतन के रूप में प्राप्त राशि 1,24,92,755/- रुपये को आय पक्ष में सम्मिलित की गई है। आरोपी श्री अजय भार्गव के रिहायशी मकान/बैंक लॉकर की तलाशी के दौरान कुल मिनी अवैध नगद राशि कुल 47,22,550/- रुपये बरामद किये जिनकी नियमानुसार एफडीआर राष्ट्रीकृत बैंक में दिनांक 18.10.2023 को करवाई गई है। प्रपत्र - अ आरोपी श्री अजय भार्गव तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक 28.06.1997 से पूर्व एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव पत्नी श्री अजय भार्गव हाल उप प्राचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) मण्डाना, जिला कोटा के द्वारा प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.07.1997 से पूर्व अर्जित की गयी सम्पत्ति- क्र.सं. विवरण कीमत (रूपये) - - - प्रपत्र - ब आरोपी श्री अजय भार्गव तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर द्वारा बैंक अवधि दिनांक 28.06.1997 से दिनांक 19.10.2023 तक अर्जित की गयी सम्पत्ति- क्र.सं. विवरण कीमत (रूपये) 1. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा जिला डूंगरपुर में स्वयं के ठहरने के लिये उपयोग में लिये जाने वाले डाक बंगला, जिला डूंगरपुर के कमरा नम्बर 02 की तलाशी में मिली नगद राशि 21,605 2. आरोपी के रिहायशी आवास मकान नम्बर 01, के-58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा की खाना तलाशी में मिली नगद राशि 47,22,550 3. आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी के दौरान मिले सामानों की फर्द अनुसार कुल अनुमानित कीमत 15,01,223 4. आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी के दौरान भूमि तल पर मिले सोने के आर्टिकल्स क्रमशः सात सोने के सिक्के, एक सोने का बिस्किट पीस, एक सोने के बिस्किट का टुकड़ा, एक सोने की पत्रि की फर्द अनुसार कुल अनुमानित कीमत 8,89,000 5. आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी के दौरान भूमि तल पर मिले चांदी के आर्टिकल्स क्रमशः चांदी के सिक्के 11 किलो 954 ग्राम, चांदी की 05 सिल्लियां वजन 3 किलो 659 ग्राम की फर्द अनुसार कुल अनुमानित कीमत 11,13,206 6. आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी के दौरान भूमि तल पर मिले चांदी के आर्टिकल्स क्रमशः चांदी की छोटी-बडी 29 कटोरियां वजन 2 किलो 200 ग्राम, चांदी के 33 गिलास वजन 3 किलो 816 ग्राम, अन्य चांदी के बर्तन वजन 7 किलो 476 ग्राम की फर्द अनुसार कुल अनुमानित कीमत 9,61,978 7. आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी के दौरान प्रथम तल पर मिला सोने का सिक्का वजन 2 ग्राम की फर्द अनुसार कुल अनुमानित कीमत 12,000 8. आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी के दौरान प्रथम तल पर मिले चांदी के आर्टिकल्स क्रमशः चांदी की 10 ईंटे वजन 6 किलो 266 ग्राम, चांदी के सिक्के, लक्ष्मी जी व गणेश जी की छोटी चांदी की मुर्तियां कुल वजन 5 किलो 505 ग्राम की फर्द अनुसार कुल अनुमानित कीमत 8,39,266 9. आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी के दौरान प्रथम तल पर मिले चांदी के आर्टिकल्स क्रमशः चांदी का 1 गिलास वजन 74 ग्राम, चांदी की 12 कटोरियां वजन 1 किलो 146 ग्राम, चांदी के 03 दिपक वजन 133.6 ग्राम की फर्द अनुसार कुल अनुमानित कीमत 96,535 10. आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी के दौरान द्वितीय तल पर मिला सोने का बिस्किट वजन 117.970 ग्राम की फर्द अनुसार कुल अनुमानित कीमत 7,07,850 11. आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी के दौरान द्वितीय तल पर मिले चांदी के आर्टिकल्स क्रमशः चांदी की थालियां 1 किलो 294 ग्राम, चांदी की डेकोरेशन वाली पत्ति वजन 310.03 ग्राम, चांदी का बडा थाल वजन 5 किलोग्राम की फर्द अनुसार कुल अनुमानित कीमत 4,70,824 12. आरोपी के रिहायशी आवास की खाना तलाशी के दौरान मिले सोने व चांदी के आभुषण जो पुनः श्रीमती दीप्ती भार्गव व सुश्री आरती भार्गव को सुपुर्द किये गये की फर्द अनुसार कुल अनुमानित कीमत 16,56,375 13. पंजाब नेशनल बैंक, श.खा दादाबाडी, कोटा के लॉकर संख्या BB00041 संयुक्त खाताधारक श्री अजय भार्गव पुत्र श्री बसंत किशोर भार्गव, श्री संजय भार्गव पुत्र श्री बसंत किशोर भार्गव व श्रीमती उमाकान्ता भार्गव पत्नी श्री बसंत किशोर भार्गव की खाना तलाशी के दौरान मिले सोने व चांदी के आर्टिकल्स व आभुषण की फर्द अनुसार कुल अनुमानित कीमत 97,29,506 14. आरोपी श्री अजय भार्गव के नाम आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में खाता संख्या 687905602528 का दिनांक 11.10.2023 तक का अंतिम शेष 37,07,511.91 15. आरोपी श्री अजय भार्गव के नाम आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में खाता संख्या 687901115391 का दिनांक 11.10.2023 तक का अंतिम शेष 18,99,397.99 16. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में खाता संख्या 687901115391 से दिन क 31.08.2023 को जरिये बैंक संख्या 5070 से श्री संजय भार्गव को 15,00,000/- रुपये दिये गये 15,00,000 17. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में खाता संख्या 687901115391 से दिनांक 31.08.2023 को जरिये यूपीआई 324390206016 से

99,000/- रुपये ट्रांसफर किया गया 99,000 18. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में खाता संख्या 687901115391 से दिनांक 06.09.2023 को अकाउण्ट नम्बर 687913007381 में 10,00,000/- रुपये ट्रांसफर किये गये 10,00,000 19. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में खाता संख्या 687901115391 से दिनांक 08.09.2023 को जरिये यूपीआई 361719656860 से 90,000/- रुपये ट्रांसफर किया गया 90,000 20. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में खाता संख्या 687901115391 से दिनांक 22.09.2023 को जरिये यूपीआई 326596899565 से 33,750/- रुपये ट्रांसफर किया गया 33,750 21. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में खाता संख्या 687901115391 से दिनांक 23.09.2023 को जरिये यूपीआई 363266060760 से 40,000/- रुपये एवं जरिये यूपीआई 363257094242 से 50,000/- रुपये का ट्रांसफर किया गया कुल 90,000/- रुपये ट्रांसफर किये गये 90,000 22. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में खाता संख्या 687901115391 से दिनांक 25.09.2023 को जरिये यूपीआई 326850810709 से 34,400/- रुपये ट्रांसफर किये गये 34,400 23. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में खाता संख्या 687901115391 से दिनांक 02.10.2023 को जरिये यूपीआई 327429771888 से 50,000/- रुपये ट्रांसफर किये गये 50,000 24. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा अपने आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में खाता संख्या 687901115391 से दिनांक 05.10.2023 को जरिये यूपीआई 327867702318 से 1,00,000/- रुपये ट्रांसफर किये गये 1,00,000 25. आरोपी श्री अजय भार्गव के नाम आईसीआईसीआई बैंक शाखा पाटनपोल कोटा में एफ.डी.आर. खाता संख्या 687910022985 परिपक्व दिनांक 20.10.2022 2,02,225 26. आरोपी श्री अजय भार्गव के नाम पंजाब नेशनल बैंक शाखा दादाबाडी कोटा में खाता संख्या 1943000100145682 का दिनांक 11.10.2023 तक का अंतिम शेष 12,308.04 27. आरोपी श्री अजय भार्गव के नाम पंजाब नेशनल बैंक शाखा दादाबाडी कोटा में खाता संख्या 1943000100044626 का दिनांक 11.10.2023 तक का अंतिम शेष 14,803.59 28. आरोपी श्री अजय भार्गव के नाम पंजाब नेशनल बैंक शाखा दादाबाडी कोटा में खाता संख्या 194300FP00001682 दिनांक 19.03.2022 को एफ. डी.आर. करवाई गई 3,00,000 29. नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा आरोपी श्री अजय भार्गव के नाम भूखण्ड संख्या 105 गिरिराजपुरम आवासीय योजना कोटा का पट्टा क्रमांक संख्या 31582 आरोपी द्वारा मालियत राशि 14,74,038/- रुपये एवं पंजीयन शुल्क 1,33,267/- में क्रय किया गया 16,07,305 30. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा नगर विकास न्यास, कोटा से आवंटित भूखण्ड संख्या 105 गिरिराजपुरम आवासीय योजना कोटा में दिनांक 20.02.2023 को जरिये चालान रजिस्ट्री विलम्ब शुल्क 20,000/- जमा करवाये 20,000 31. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा रेडमी नोट 5 प्रो ब्लेक 64 जीबी मोबाईल फोन दिनांक 12.08.2018 को खरीदा गया 14,999 32. आरोपी श्री अजय भार्गव व उसकी पत्नी श्रीमती दीप्ती भार्गव के नाम एस.बी.आई. बैंक शाखा विश्वकर्मा नगर कोटा में संयुक्त खाता संख्या 33031247370 का दिनांक 11.10.2023 तक का अंतिम शेष 871.51 33. आरोपी श्री अजय भार्गव की पत्नी श्रीमती दीप्ती भार्गव के नाम नगर विकास न्यास, कोटा में आर.के.पुरम बी आवासीय योजना में आवंटित भू-खण्ड संख्या 517 कुल क्षेत्रफल 324 वर्ग मीटर कुल देय राशि 1,32,47,712/- रुपये कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा के पत्रांक एफ11/लॉटरी/2022/37 दिनांक 28.12.2022 से आवंटित हुआ जिसमें आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा आरोपी श्री अजय भार्गव के खाता संख्या 687901115391 से जरिये बैंक नम्बर 005053 दिनांक 19.01.2023 से 19,53,985/- रुपये व बैंक नम्बर 005062 दिनांक 08.02.2023 से राशि 9,77,349/- रुपये जमा करवाये गये। इसी क्रम में आईसीआईसीआई बैंक से आरोपी व उसकी पत्नी द्वारा लोन (TBKOT00006493566) लेकर बैंक खाता संख्या 000405120532 से जरिये बैंक नम्बर 311363 दिनांक 08.02.2023 को 81,98,335/- रुपये नगर विकास न्यास, कोटा में जमा करवाये 1,11,29,673 34. आरोपी श्री अजय भार्गव के पुत्र श्री संस्कार भार्गव के नाम एस.बी.आई. बैंक शाखा विश्वकर्मा नगर कोटा में खाता संख्या 38766291065 का दिनांक 11.10.2023 तक का अंतिम शेष 16,49,502.53 35. आरोपी श्री अजय भार्गव के पुत्र श्री संस्कार भार्गव के नाम एक्सीस बैंक कोटा में खाता संख्या 923010030978255 का दिनांक 11.10.2023 तक का अंतिम शेष 20,154.69 36. आरोपी श्री अजय भार्गव के पुत्र श्री अज्यांशु भार्गव के नाम बैंक आईसीआईसीआई शाखा महावीर नगर प्रथम कोटा में खाता संख्या 687701701300 का दिनांक 11.10.2023 तक का अंतिम शेष 4,25,671.70 37. आरोपी श्री अजय भार्गव के नाम एलआईसी पॉलिसी नम्बर 187857802 जिसकी वार्षिक प्रिमियम राशि 43,178/- कुल 12 प्रिमियम जमा करवाई गई कुल जमा राशि 5,18,136 38. आरोपी श्री अजय भार्गव के नाम एलआईसी पॉलिसी नम्बर 186390435 जिसकी वार्षिक प्रिमियम राशि 18,702/- कुल 15 प्रिमियम जमा करवाई गई कुल जमा राशि 2,80,530 39. आरोपी श्री अजय भार्गव के पुत्र श्री संस्कार भार्गव के नाम एलआईसी पॉलिसी नम्बर 184363633 जिसकी वार्षिक प्रिमियम राशि 21,219/- कुल 18 प्रिमियम जमा करवाई गई कुल जमा राशि 3,81,942 40. आरोपी श्री अजय भार्गव के पुत्र श्री अज्यांशु भार्गव के नाम एलआईसी पॉलिसी नम्बर 0184356900 जिसकी वार्षिक प्रिमियम राशि 5,305/- कुल 18 प्रिमियम जमा करवाई गई कुल जमा राशि 95,490 41. भू-खण्ड संख्या 153 राजीव गांधी नगर योजना, कोटा में

आवासीय प्लोट दिनांक 24.12.2009 को श्रीमती चारूलता जैन पत्नी श्री चिमन लाल महाजन जैन से आरोपी श्री अजय भार्गव व आरोपी की पत्नी श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा मालियत राशि 35,00,000/- रूपये एवं पंजीयन शुल्क 1,75,550/- में क्रय किया गया। 36,75,550 42. आरोपी श्री अजय भार्गव के नाम मोटरसाईकिल पेशन प्रो नम्बर आरजे 20 एसयू 1211 की पंजीयन फॉर्म के अनुसार क्रय राशि व टेक्स शुल्क 51,996 43. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा आईसीआईसीआई बैंक शाखा दादाबाडी, कोटा से दिनांक 29.03.2019 से लोन खाता संख्या LBKOT00004948681, LBKOT00004948639, LBKOT00004948640, LBKOT00004948641, LBKOT00005337439, LBKOT00005920911 एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा आईसीआईसीआई बैंक शाखा दादाबाडी, कोटा से दिनांक 30.01.2023 को लोन खाता संख्या TEKOT00006493566 लिया गया। जिसमें जमा करवाई गई राशि 6,53,37,145 44. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा लिये गये लोन खाता संख्या LBKOT00004948681, LBKOT00004948639, LBKOT00004948640, LBKOT00004948641, LBKOT00005337439, LBKOT00005920911 एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा लिये गये लोन खाता संख्या TBKOT00006493566 में जमा करवाई जाने वाली व्यय राशि 1,90,07,582 45. वाहन मारूति कार रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 20-1सी-0472 वाहन स्वामी श्री अजय भार्गव, जिसकी अनुमानित किमत 2,18,000 46. वाहन मारूति कार रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 20-1सी-0472 के रख रखाव, इन्शोरेन्स, व पेट्रोल पर खर्च की अनुमानित राशि रजिस्ट्रेशन वर्ष 2001 से कार विक्रय वर्ष 2016 तक 2,70,000 कुल योग 13,65,59,862.96/- प्रपत्र - ब आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव पत्नी श्री अजय भार्गव हाल उप प्राचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) मण्डाना, जिला कोटा द्वारा चैक अवधि दिनांक 01.07.1997 से दिनांक 19.10.2023 तक अर्जित की गयी सम्पत्ति- क्र.सं. विवरण कीमत (रूपये) 1. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव के नाम पंजाब नेशनल बैंक शाखा दादाबाडी, कोटा में खाता संख्या 3588000100088010 का दिनांक 11.10.2023 तक का अंतिम शेष 48,482.01 2. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव के नाम एस.बी.आई. बैंक शाखा मण्डाना कोटा में वेतन खाता संख्या 51008038471 का दिनांक 11.10.2023 तक का अंतिम शेष 23,58,421.51 3. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव के नाम एस.बी.आई. बैंक शाखा टाउनशिप कोटा में खाता संख्या 61070033450 का दिनांक 11.10.2023 तक का अंतिम शेष 13,485 4. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव के नाम पर मारूती वेगनआर कार नम्बर आरजे20सीएच9711 की नवम्बर 2022 से नवम्बर 2023 तक का जमा करवाई गई इन्शोरेन्स प्रिमियम राशि 8,524/- व कार की आईडीवी 3,52,910/- रूपये। उक्त कार के जैन ऑटोमोबाईल डूंगरपुर से अपोलो टायर की बिल राशि 13,700/- रूपये आरोपी अजय द्वारा व्यय किया गया। 3,75,134 5. नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव के नाम भूखण्ड संख्या 86 गिरिराजपुरम आवासीय योजना कोटा का पट्टा क्रमांक संख्या 31585 मालियत राशि 26,36,928/- रूपये एवं पंजीयन शुल्क 2,02,379/- में क्रय किया गया। 28,39,307 6. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा नगर विकास न्यास, कोटा से आवंटित भूखण्ड संख्या 86 गिरिराजपुरम आवासीय योजना कोटा में दिनांक 20.02.2023 को जरिये चालान रजिस्ट्री विलम्ब शुल्क 20,000/- जमा करवाये 20,000 7. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा कोटा विद्युत वितरण लिमिटेड, कोटा में दिनांक 20.02.2023 को विद्युत लाईन/पोल हटवाने बाबत रिसिप्ट नम्बर 21072100097730223 से 1,22,584/- रूपये जमा करवाये 1,22,584 8. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा एस.बी.आई. लाईफ इश्योरेन्स लिमिटेड से होम लोन अकाउण्ट नम्बर 35703279983 राशि 21,00,000/- पर दिनांक 31.05.2016 से ऋण रक्षा पोलिस 20.05.2024 तक के लिये ली गई। पोलिसी नम्बर 70000011107 जिसकी वार्षिक प्रिमियम 05 वर्षों के लिये देय (वर्ष 2016 से 2020 तक) है। 34,870 9. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा यूआईटी कोटा से भू-खण्ड प्राप्त करने हेतु आवेदन किया ज रेये चालान नम्बर 3167 से जमा करवाये 8,82,000 10. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा तनिष्क शोरूम कोटा से वाउचर संख्या 354 दिनांक 26.06.2021 को सोने की अंगुठी शुद्ध वजन 2.898 ग्राम खरीदी गई 1,63,710 11. भू-खण्ड संख्या 456 राजीव गांधी नगर योजना, कोटा में आवासीय प्लोट दिनांक 21.10.2011 को श्रीमती मन्जु तिवारी पत्नी श्री अम्बरीश कुमार तिवारी से आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव एवं श्रीमती सीमा भार्गव (आरोपी अजय के भाई श्री संजय भार्गव की पत्नी) द्वारा मालियत राशि 45,00,000/- रूपये एवं पंजीयन शुल्क 1,43,000/- रूपये में क्रय किया गया। जिसमें आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव का 1/2 हिस्सा 23,21,500 12. भू-खण्ड संख्या 124 राजीव गांधी नगर योजना, कोटा में आवासीय प्लोट दिनांक 09.11.2004 को नगर विकास न्यास, कोटा से आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा क्रय किया मालियत राशि 9,76,275/- रूपये एवं पंजीयन शुल्क 89,250/- जमा करवाया गया 10,65,525 13. भू-खण्ड संख्या 124 राजीव गांधी नगर योजना, कोटा में निर्माण कार्य हेतु स्टोन क्रय सम्बंधित बिल 37,890 14. भू-खण्ड संख्या 141 राजीव गांधी नगर योजना, कोटा में आवासीय प्लोट दिनांक 08.10.2013 को श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी श्री एवन शर्मा से श्रीमती उमाकान्ता भार्गव (आरोपी अजय की माता), श्रीमती सीमा भार्गव (आरोपी अजय के भाई श्री संजय भार्गव की पत्नी) व आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा मालियत राशि 60,00,000/- रूपये एवं पंजीयन शुल्क 2,33,130/- में क्रय किया गया। जिसमें आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव का 1/3 हिस्सा 20,77,710 15. भू-खण्ड संख्या 162 राजीव गांधी नगर योजना, कोटा में आवासीय प्लोट दिनांक 12.09.2008

को श्री कालुराम जैन पुत्र श्री विमलचन्द जैन से श्रीमती उमाकान्ता भार्गव (आरोपी अजय की माता), कुमारी आरती भार्गव (आरोपी अजय की बहन) व आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा मालियत राशि 21,60,000/- रुपये एवं पंजीयन शुल्क 1,08,000/- में क्रय किया गया। जिसमें आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव का 1/3 हिस्सा 7,56,000 16. प्लॉट नम्बर ए 2-103, महालक्ष्मी एनक्लेम बांरा रोड नया नोहर कोटा के इकरारनामा के स्टाम्प द्वारा आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा क्रय किया 12,75,000 17. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव के नाम स्कूटी प्लेजर नम्बर आरजे 20 एसएन 2711, पंजीयन फार्म अनुसार जिसकी क्रय राशि व पंजीयन शुल्क/टेक्स राशि 41,779 18. वाहन मारुति वेगनार कार रजिस्ट्रेशन नं. आरजे20-सीएच-9711, वाहन स्वामी श्रीमती दीप्ती भार्गव पत्नी श्री अजय भार्गव, पंजीयन फार्म अनुसार जिसकी क्रय राशि व पंजीयन शुल्क/टेक्स राशि 5,91,820 19. वाहन हीरो होण्डा स्कूटी रजिस्ट्रेशन नं. आरजे20-एसएल-0311, वाहन स्वामी श्रीमती दीप्ती भार्गव पत्नी श्री अजय भार्गव, पंजीयन फार्म अनुसार जिसकी क्रय राशि व पंजीयन शुल्क/टेक्स राशि 39,068 20. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव के नाम स्कूटी प्लेजर नम्बर आरजे 20 एसएन 2711, के रख रखाव, इन्शोरेन्स, व पेट्रोल पर खर्च की अनुमानित राशि रजिस्ट्रेशन वर्ष 2010 से कार्यवाही दिनांक तक 1,08,000 21. वाहन मारुति वेगनार कार रजिस्ट्रेशन नं. आरजे20-सीएच-9711, के रख रखाव, इन्शोरेन्स, व पेट्रोल पर खर्च की अनुमानित राशि रजिस्ट्रेशन वर्ष 2020 से कार्यवाही दिनांक तक 45,000 22. वाहन हीरो होण्डा स्कूटी रजिस्ट्रेशन नं. आरजे20-एसएल-0311, के रख रखाव, इन्शोरेन्स, व पेट्रोल पर खर्च की अनुमानित राशि रजिस्ट्रेशन वर्ष 2009 से कार्यवाही दिनांक तक 1,10,000 कुल योग 1,53,27,285.52/- प्रपत्र - स आरोपी श्री अजय भार्गव तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर द्वारा चैक अवधि दिनांक 28.06.1997 से दिनांक 19.10.2023 तक एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव पत्नी श्री अजय भार्गव हाल उप प्राचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) मण्डाना, जिला कोटा द्वारा चैक अवधि दिनांक 01.07.1997 से दिनांक 19.10.2023 तक प्राप्त की गई आय- क्र.सं. विवरण कीमत (रूपये) 1. आरोपी श्री अजय भार्गव को अपने सेवाकाल के दौरान सकल वेतन के रूप में 1,50,45,771 रूपये प्राप्त हुए जिसमें से इन्कमटेक्स 9,60,732 रूपये को घटाने के पश्चात शुद्ध वेतन के रूप में 1,40,85,039 रूपये प्राप्त हुए। 1,40,85,039 2. आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव जो राजकीय सेवा में शिक्षा विभाग में कार्यरत है, को अपने सेवाकाल के दौरान सकल वेतन के रूप में 1,33,23,489 रूपये प्राप्त हुए, जिसमें से इन्कमटेक्स 8,30,734 रूपये को घटाने के पश्चात शुद्ध वेतन के रूप में 1,24,92,755 रूपये प्राप्त हुए। 1,24,92,755 3. आरोपी श्री अजय भार्गव द्वारा आईसीआईसीआई बैंक शाखा दादाबाडी, कोटा से दिनांक 29.03.2019 से लोन खाता संख्या LBKOT00004948681, LBKOT00004948639, LBKOT00004948640, LBKOT00004948641, LBKOT00005337439, LBKOT00005920911 एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव द्वारा आईसीआईसीआई बैंक शाखा दादाबाडी, कोटा से दिनांक 30.01.2023 को लोन खाता संख्या TBKOT00006493566 से लोन लिया गया 6,55,58,200 4. आरोपी श्री अजय भार्गव के पुत्र श्री संस्कार भार्गव के नाम एलआईसी पॉलिसी नम्बर 184363633 से परिलाभ प्राप्त हुए 2,80,000 5. आरोपी श्री अजय भार्गव के पुत्र श्री अजांशु भार्गव के नाम एलआईसी पॉलिसी नम्बर 0184356900 से परिलाभ प्राप्त हुए 70,000 कुल योग 9,24,85,994/- प्रपत्र - स आरोपी श्री अजय भार्गव तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर द्वारा चैक अवधि दिनांक 28.06.1997 से दिनांक 19.10.2023 तक में किया गया व्यय- क्र.सं. विवरण कीमत (रूपये) 1. आरोपी श्री अजय भार्गव को अपने सेवाकाल के दौरान सकल वेतन 1,50,45,771/- रूपये में से आयकर कटौती की राशि 9,60,732/- रूपये घटा कर शेष राशि 1,40,85,039/- रूपये जिसमें से असत्यापनीय व्यय 1/3 हिस्सा 46,95,013/- रूपये का व्यय होना पाया गया है 46,95,013 कुल योग 46,95,013/- इस प्रकार आरोपी श्री अजय भार्गव के द्वारा आलोच्य अवधि दिनांक 28.06.1997 (प्रथम नियुक्ति) से दिनांक 19.10.2023 (कार्यवाही दिनांक) तक एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव पत्नी श्री अजय भार्गव के द्वारा आलोच्य अवधि दिनांक 01.07.1997 (प्रथम नियुक्ति) से दिनांक 19.10.2023 (कार्यवाही दिनांक) तक कुल परिसम्पत्तियां 15,18,87,148.48/- रूपये एवं व्यय राशि 46,95,013 /- रूपये को जोड़ने पर कुल 15,65,82,161.48/- रूपये की कुल परिसम्पत्तियां अर्जित की है। उक्त अवधि में आरोपी श्री अजय भार्गव एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव को राजकीय सेवा एवं लोन से प्राप्त शुद्ध आय 9,24,85,994.00/- रूपये प्राप्त हुई है। कुल परिसम्पत्तियों की राशि 15,65,82,161.48/- रूपये में से आरोपी श्री अजय भार्गव एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव को राजकीय सेवा से प्राप्त शुद्ध आय 9,24,85,994.00/- रूपये को घटाये जाने पर 6,40,96,167.48/- रूपये की राशि आई जो आरोपी श्री अजय भार्गव एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव की राजकीय सेवा से प्राप्त आय से 69.30 प्रतिशत अधिक राशि है। इस प्रकार आरोपी श्री अजय भार्गव पुत्र श्री बसंत कुमार भार्गव, मकान नम्बर 01, के-58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव पत्नी श्री अजय भार्गव, पुत्री श्री अमरनाथ भार्गव निवासी मकान नम्बर 01, के-58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा, हाल बार्ड नम्बर 10, 1560/2 उमा फिलिंग स्टेशन, मण्डाना, कोटा हाल उप प्राचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) मण्डाना, जिला कोटा के द्वारा चैक पीरियड के दौरान आपसी षडयंत्र पूर्वक अपनी कुल वैध आय से अधिक की संपत्तियां अर्जित करना प्रमाणित है आरोपीगण द्वारा किया गया उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी)

सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 120बी भा.दं.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री अजय भार्गव पुत्र श्री बसंत कुमार भार्गव, मकान नम्बर 01, के-58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव पत्नी श्री अजय भार्गव, पुत्री श्री अमरनाथ भार्गव निवासी मकान नम्बर 01, के-58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा, हाल वार्ड नम्बर 10, 1560/2 उमा फिलिंग स्टेशन, मण्डाना, कोटा हाल उप प्राचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) मण्डाना, जिला कोटा के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भा.दं.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध करवाने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वान्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय) राजीव जोशी(अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजीव जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट उदयपुर ने प्रेषित बने है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 120बी भा.दं.सं. में आरोपी श्री अजय भार्गव पुत्र श्री बसंत कुमार भार्गव, मकान नम्बर 01, के-58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, कार्यालय जिला परिषद, डूंगरपुर एवं आरोपिया श्रीमती दीप्ती भार्गव पत्नी श्री अजय भार्गव, पुत्री श्री अमरनाथ भार्गव निवासी मकान नम्बर 01, के-58, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा, हाल वार्ड नम्बर 10, 1560/2 उमा फिलिंग स्टेशन, मण्डाना, कोटा हाल उप प्राचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) मण्डाना, जिला कोटा के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री हिम्मत सिंह चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 87 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1593-97 दिनांक 12-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3-शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

(जाँच अधिकारी का नाम):

HIMMAT CHARAN

Rank

(पद):

अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.):

to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पत्र कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan, IN
Date: 10/02/2024 16:30:00



15. Date and time of dispatch to the court:
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendent of Police)
No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (गनाबट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|----------------|------------|--|------------------|-----------------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 21/12/1965 | | | | |
| 2 | Female | 14/02/1972 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दोत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|--|----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग) | Mole (मस्ता) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)